महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

(शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्था)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

(An autonomous organisation under Ministry of Education, Govt. of India)

पत्र सं. 18-2/2023(प्र.वि.)/मसारावेविप्र/ दिनांक/Date: 14.11.2024

अधिसूचना 1569

विषय :- दिनांक 15-26 नवम्बर, 2024 तक "जनजातीय गौरव दिवस 2024" एवं "संविधान दिवस 2024" मनाये जाने के सम्बन्ध में।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 4-11-2024 एवं 07-11-2024 के अनुसार देशभर में प्रतिष्ठान से सम्बद्ध समस्त वेद पाठशालाओं, गुरुशिष्य परम्परा इकाइयों तथा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 से 26 नवम्बर, 2024 तक "जनजातीय गौरव दिवस 2024" एवं "संविधान दिवस 2024" के अवसर पर छात्रों को भारतीय संविधान के इतिहास, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्त्तव्यों की जानकारी प्रदान करें व छात्रों को संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने हेतु प्रेरित करें तथा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी भाषाओं तथा तत्सम्बन्धी जानकारी प्रदान करना सुनिश्चित करें। साथ ही दिनांक 26 नवम्बर, 2024 को भारतीय संविधान की उद्देशिका को पढ़ा जाये। प्रति संलग्न है।

अतः उपर्युक्त सम्बन्ध में कार्यक्रम आयोजित कर छायाचित्र प्रतिष्ठान के ई-मेल पर प्रेषित करें।

संलग्न :- यथोक्त।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan, Ujjain प्रशासन Administration (An Autonomous Organisation under Ministry of Education) (शिक्षा मंत्रालय का स्वायत्तशासी संस्थान)

(लवी त्यागी)
सहायक निदेशक (प्रशा. एवं स्था.)

प्रतिलिपि :-

1. प्रतिष्ठान से सम्बद्ध समस्त वेद पाठशालाओं, गुरुशिष्य परम्परा इकाइयों तथा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों के सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
2. संबंधित पत्रावली।
3. कार्यालय आदेश नस्ती।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][**संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य**] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और [2][राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई0 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।**

---

[1] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) **"प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य"** के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।